राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–2638/2011/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन–तृतीय,
राजस्थान, जयपुर ...अपीलार्थी

बनाम

मै. जय अम्बे स्टील फर्नीचर, बहरोड ...प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक ...अपीलार्थी की ओर से

श्री सी.एल.शर्मा
अभिभाषक ...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 11.04.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) अलवर–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, भिवाडी (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 43/आरवेट/09–10/उपा/अपील्स/अल–II/भिवाडी में पारित आदेश दिनांक 11.03.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता–द्वितीय राज0, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2009 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत कायम शास्ति राशि रूपये 43,650/– को विवादित करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति को अपास्त किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 27.12.2008 को चांदपोल रोड़ पर वाहन संख्या आर.जे.–02/जी–4729 को रोक कर चैक किया गया। वक्त जांच वाहन में व्यवहारी फर्म के 14" रंगीन टीवी के 27 नग एवं 21" रंगीन टीवी के 12 नग लदे पाये गये जिसे जयपुर परिवहनित किया जा रहा था। जांच के समय वाहन चालक/माल प्रभारी ने परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज मै. बंसल रोड लाईन्स, बहरोड की बिल्टी/जी.आर.नं. 1701, मै. जय अम्बे स्टील फर्नीचर, बहरोड का बिल/चालान नं. 149 दिनांक 27.12.08 कीमतन रू 1,15,950/– जो फर्म मै. जय अम्बे स्टील फर्नीचर, संसार चन्द्र रोड, जयपुर ब्रान्च को जारी था, प्रस्तुत किये। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच एवं परिवहनित माल का भौतिक सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया जिसमें प्रस्तुत दस्तावेज प्रथम दृष्टया असत्य एवं कूटरचित प्रतीत होने के कारण करापवंचन के सन्देह में

लगातार.....2

व्यवहारी को धारा 76(6) एवं 76(9) के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। नियत तिथि को व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर चालान बुक पेश की गई। सक्षम अधिकारी द्वारा चालान बुक में तथाकथित चालान नं. 149 की कॉर्बन प्रति का मिलान वक्त जांच प्रस्तुत मूल चालान से किये जाने पर मौजूदा कार्बन प्रति की लिखावट में अन्तर पाये जाने एवं व्यवहारी द्वारा नोटिस की पालना में प्रस्तुत जबाब असंतोषजनक, भ्रामक एवं आधारहीन होने के कारण इसे अस्वीकार करते हुए दस्तावेज असत्य एंव कूटरचित प्रतीत होने पर अपीलार्थी की करापवंचन की मंशा मानते हुए धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति रू 43,650/– आरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर आरोपित शास्ति राशि को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

4. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने कथन किया कि यह माल दिल्ली से जयपुर परिवहनित किया जा रहा है, मात्र कोरी कल्पना है क्योंकि सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त तथ्य का किसी ठोस साक्ष्य के आधार पर सिद्ध नहीं किया गया है एवं न ही व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर उसे असत्य एवं कूटरचित सिद्ध किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 92 के तहत जारी नोटिस के तहत चाहे ट्रांसपोर्टर के हलफिया बयान भी उनके द्वारा पेश कर दिये गये थे, जिसमें ट्रांसपोर्टर ने स्वीकार किया है कि व्यवहारी द्वारा भेजे जा रहे रंगीन टी.वी.सैट उसके द्वारा बहरोड से ही वाहन में लादे गये हैं तथा उन्हे जयपुर ले जाया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रस्तुत हलफनामे की भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच नहीं की गई तथा सभी दस्तावेजों को असत्य एवं कूटरचित बताये जाकर धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित की गई है, जो अविधिक है। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान अभिभाषक ने माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा स.वा.क.अ प्रतिकरापवंचन बनाम मै. अग्रवाल साल्ट कम्पनी (अपील नं. 1256/2007/बीकानेर) के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 24.01.08 का हवाला दिया गया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "That penalty has been setaside because the Assessing Authority failed to conduct any independent enquiry to disprove the affidavit filed by the asessee. Therefore the Assessing Authority failed to prove mensrea for Tax evasion. उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किसी भी दस्तावेज को असत्य सिद्ध नही किया गया केवल मात्र अनुमान

लगातार.....3

के आधार पर माल को दिल्ली से आना बताकर बिना जांच के धारा 76(6) के अधीन शास्ति आरोपित की गई है, जो न्यायसंगत नहीं है। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। अतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सशक्त अधिकारी द्वारा हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों की बिना गहन जांच किये मिथ्या एवं बोगस माना है। परिवहनित माल के साथ संलग्न चालान नं. 149 में स्पष्ट रूप से स्टॉक ट्रांसफर अंकित है एवं व्यवहारी फर्म की ब्रांच जयपुर में स्थित है जिसको उक्त माल का ट्रांसफर किया जा रहा था एवं उक्त ब्रांच का इन्द्राज भी उसके पंजीयन प्रमाण पत्र में अंकित था। दस्तावेजों को असत्य एवं कूटरचित सिद्ध करने का दायित्य विभाग का है जबकि सक्षम अधिकारी द्वारा इन तथ्यों के संबंध में कोई जांच नहीं की गई है। सक्षम अधिकारी द्वारा बिना किसी जांच के प्रस्तुत दस्तावेजों को कूटरचित मानकर अधिनियम की धारा 76(6) के अर्न्तगत शास्ति आरोपित करना न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं है जिसे अपीलीय अधिकारी ने अपास्त करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

8. उपर्युक्त विवेचन के अनुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

नत्थूराम

(नत्थूराम)
सदस्य